तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/10/21	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प कोर्ट में दिनांक 16/11/21 को पेश हो
16/11/21	पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट जरखोदा में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। तहसीलदार नैनवां का जवाब प्राप्त हो चुका है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कलमियां के खसरा नं. $\frac{197}{0-17}$, $\frac{198}{0-04}$ रामप्रसाद पि० प्रहलाद, डिप्टी उर्फ राजू पुत्र प्रहलाद, अशोक पुत्र गोविन्द, रामस्वरूप पि० छीतर ग्राम कलमियां कौम गुसाई के खातेदारी दर्ज है। लेकिन मौके पर ख.नं. $\frac{197}{0-17}$, $\frac{198}{0-04}$ पर उक्त खातेदारान का कब्जा नहीं है। उक्त खसरा नं. पर रामगोपाल, रामनिवास पि० भूरा जाति बैरवा का कब्जा है। वर्तमान में मौके पर फसल है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि की सीमाबन्दी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:25:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner